न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/16/2025	10.02.2025	25.02.2025

1 मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम [illegible] तहसील मुण्डावर जरिये [illegible] धर्मपाल पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी ग्राम [illegible] तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

1 रामप्रसाद दत्तक पुत्र चमेली बेवा मुसद्दीलाल जाति ब्राह्मण
2 नरेश कुमार दत्तक पुत्र गोमती पत्नि [illegible] निवासीयान ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
3 मूर्ति बेवा कन्हैया पुत्री गोमती (मृतक)
3/1 ओमप्रकाश पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण,
3/2 राजेश कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण,
3/3 सतीश कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी अजरका तहसील मुण्डावर हाल निवासी ए–234 हसन खॉ मेवात नगर अलवर (राजस्थान)
4 श्याम बाई पुत्री गोमती पत्नि रामकिशन ब्राहम्ण (मृतक)
4/1 महेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति ब्राहम्ण,
4/2 कान्ता पुत्री रामकिशन जाति ब्राहम्ण,
4/3 मंजू पुत्री रामकिशन जाति ब्राहम्ण,
4/4 अर्चना पुत्री रामकिशन जाति ब्राहम्ण,
4/5 मधु पुत्री रामकिशन जाति ब्राहम्ण,
4/6 रेणु पुत्री रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(अप्रार्थीयान)

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1–श्री देवेश कुमार – प्रार्थी वकील

2–श्री जनार्दन शर्मा – वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

वकील प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात गत खसरा नम्बरान 347 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 349 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 350 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 351 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 385 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, 348 रकबा 0.02 बिस्वा, 352/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, जिनके बन्दोबस्त सन 1977 में आराजी खसरा न0 383 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 385 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 386 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 387

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 436 रकबा 4 बिघा 8 बिस्वा, 424 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, 384 रकबा 2 बिस्वा, कुल किता 7 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा व हाल आराजी खसरा नम्बरान 217 रकबा 0.65 है0, 218 रकबा 0.43 है0, 226 रकबा 0.90 है0, 230 रकबा 0.95 है0, 314 रकबा 0.21 है0, 514 रकबा 0.44 है0, 515 रकबा 0.38 है0, 516 रकबा 0.39 है0, 517 रकबा 0.36 है0, 518 रकबा 0.02 है0, 519 रकबा 0.34 है0, 520 रकबा 0.28 है0, कुल किता 12 रकबा 5.35 है0 ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात गत करीब 50 साल पूर्व वाशिन्दगान देह ने मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज बिराजमान ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर को उनके भोग खर्च के लिए माफी में दी थी। जिसकी फसल पैदावार से तभी से मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज की सेवा पूजा आदि का कार्य होता चला आ रहा था। जिसकी बाबत जमाबन्दी सम्वत 1977 व 78 में इन्द्राज चला आ रहा है। एंव उपरोक्त आराजीयात मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज को माफी में दी गयी थी। जिस कारण उपरोक्त आराजीयात का लगान भी माफ कर दिया गया था, जिसकी बाबत वाजिब उलउज में भी इन्द्राज दर्ज है। मन्दिर के पूजारी पूर्व में मुसद्दीलाल व झूथाराम थे, जो उपरोक्त आराजीयात पर काश्तकारी करते थे। और पैदावार काश्त से ही उक्त मन्दिर के भोग खर्च व समय–समय पर होने वाले उत्सव आदि व धार्मिक कार्यक्रमो का खर्चा भी चलता था। मुसद्दीलाल व झूथाराम के स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त मन्दिर की पुजारिन श्रीमति चमेली बेवा मुसद्दीलाल व बसन्ती बेवा दीनदयाल बेहिस्से बराबर–बराबर हुई और उनका नाम राजस्व अभिलेख में 1/2, 1/2 के हिसाब से दर्ज चला आ रहा था। यद्वपि मालिक भूमि के संबंध में मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज का ही नाम दर्ज था। तहसील मुण्डावर का बन्दोबस्त सम्वत 2029 में किया गया था। बन्दोबस्त के दौरान उक्त मु0 चमेली बेवा मुसद्दीलाल व बसन्ती बेवा दीनदयाल जो उपरोक्त मन्दिर की पुजारिन थी, ने महज मन्दिर को नुकसान पहुचाने की नियत से व स्वंय को बेजा लाभ अर्जित करने की नियत से बन्दोबस्त अधिकारियो से मिल्लत करते हुए उपरोक्त आराजीयात की बाबत अपने स्वयं के नाम का इन्द्राज बतौर खातेदार बहिस्से बराबर–बराबर दर्ज करा लिया जो इन्द्राज कतई गलत व खिलाफ कानून व खिलाफ मौका बिना अधिकार के किया गया है, क्योकि काननन बन्दोबस्त अधिकारियो को नवीन इन्द्राज करने का कोई अधिकार नही था, और न ही मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है, जो इन्द्राज कतई गलत व खिलाफ कानून व बिना अधिकार होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तत्पश्चात श्रीमती चमेली बेवा मुसद्दीलाल का स्वर्गवास हो गया एवं उनके स्वर्गवास होने के बाद उसका इन्तकाल विरासत उसके दत्तक पुत्र रामप्रसाद के नाम गलत तौर पर दर्ज किया गया एंव श्रीमति बसन्ती का भी स्वर्गवास हो गया, जिसकी एक पुत्री गोमती पत्नी झूथाराम थी, जिसका भी स्वर्गवास हो गया और उसके स्थान पर नरेश कुमार दत्तक पुत्र गोमती व मु0 मूर्ति पुत्री गोमती श्यामबाई पुत्री गोमती का नाम 1/2 हिस्से पर बतौर खातेदार के गलत तौर पर दर्ज किया गया है। जिसमें से मूर्ति बेवा कन्हैयालाल ने 1/4 हिस्से की वसीयत ओमप्रकाश, सतीश कुमार, राजेश कुमार पुत्रान रामप्रसाद के नाम पर कर दी जिसके आधार पर 1/4 हिस्से का इन्तकाल उनके नाम दर्ज कर दिया गया एवं 1/4 हिस्से की बाबत गोमती की पुत्री श्यामबाई के वारिसान महेन्द्र पुत्र कान्ता, मंजू, अर्चना, मधु व रेणू पुत्रीयान रामकिशन के नाम 1/4 हिस्से पर बतौर खातेदार के गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार चूँकि उपरोक्त आराजी मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज की भोग खर्च की आराजी थी, जो सदैव नाबालिग होती है, एंव काननन किसी भी नाबालिग की कृर्षि भूमि विशेष तौर पर मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। इस प्रकार उपरोक्त लोगो ने राजस्व अधिकारीयो से मिल्लत करते हुऐ मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज को नुकसान पहुचॉने की नियत से उनका नाम हटाते हुऐ अपने स्वंय का नाम जो बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है, निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर व राजस्थान सरकार व देवस्थान विभाग के अनेको परिपत्र के अनुसार कृर्षि भूमि की बाबत केवल मूर्ति मन्दिर के नाम ही दर्ज किया जाना है। यदि किसी पुजारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम किसी भी हैसियत से दर्ज नही किया जा सकता है। इस प्रकार भी उपरोक्त इन्द्राज जो

जिला कलक्टर
ला खैरथल-तिजारा (राज०)

उपरोक्त लोगो के नाम पर किया गया है, वो दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर के वाशिन्दगान है, एंव आराजी के बावत मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज का नाम तर्क किये जाने से व उपरोक्त लोगो का नाम बतौर खातेदार के दर्ज किये जाने से प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाला नुकसान होता है, एवं मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज के समक्ष भोग खर्च एवं समय–समय पर होने वाले धार्मिक उत्सव आदि पर होने वाले खर्चे के लिए भारी परेशानी का सामना करना पडता है, विशेष तौर पर उपरोक्त मन्दिर सार्वजनिक प्रन्यास नही है, जिस कारण देवस्थान विभाग से भी कोई भोग खर्च अथवा अन्य कोई राशि प्राप्त नही होती है। गत काफी समय से मन्दिर मूर्ति में किसी प्रकार की आय नही होने के कारण मन्दिर की सार सभाल भी नही हो पा रही है, उपरोक्त तथ्यो पर गौर फरमाते हुऐ उपरोक्त आराजीयात की बाबत जो इन्द्राज बन्दोबस्त सन 1977 व सम्वत 2029 व उसके बाद समय–समय पर कायमशुदा जमाबन्दी व अन्य राजस्व अभिलोख में उपरोक्त लोगो के नाम जो बतौर खातेदार के दर्ज किया गया है, को कलमजन किये जाने व आराजीयात की बाबत मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर का नाम दर्ज किये जावे।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर जर्ये वकील अपना जवाब पेश कर अवगत कराया है, कि प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बरान हाल आराजी खसरा न0 249 रकबा 0.65 है0, 250 रकबा 0.43 है0, 260 रकबा 0.90 है0, 264 रकबा 0.95 है0, 362 रकबा 0.22 है0, 592 रकबा 0.44 है0, 591 रकबा 0.38 है0, 592 रकबा 0.39 है0, 593 रकबा 0.35 है0, 594 रकबा 0.03 है0, 595 रकबा 0.34 है0, 596 रकबा 0.28 है0, वाके ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) के बाबत एक राजस्व वाद संख्या 09/2020 बअनुवान मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज पुश्तैनी नाबालिग वाके मोजा नांगलसीया तहसील मुण्डावर जर्ये नेक्स्ट फ्रेण्ड जगमाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नांगलसीया बनाम रामप्रसाद वगै0 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन है, न्यायालय हाजा के समक्ष पेशकर्दा रेफरेन्स में प्रार्थी मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज का नैकस्ट फ्रेण्ड धर्मपाल पुत्र शिवलाल को दर्ज किया गया है, जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहॉ पेश राजस्व वाद में वादी मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज का नैकस्ट फ्रेण्ड जगमाल पत्र रामस्वरूप को दर्ज किया गया है, जबकि नेक्स्ट फेण्ड एक ही व्यक्ति हो सकता है, अलग–अलग व्यक्ति नेक्स्ट फेण्ड नही हो सकते है। ग्रामवासियान ने हम अप्रार्थीगण से दिली रंजिश के चलते उक्त राजस्व वाद में हमको तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने व हमारी खातेदारी की आराजी से गलत हथकण्डे अपनाकर वंचित करने की नियत से पेश किया गया है, विवादित आराजी हम अप्रार्थीयान की पूर्वजो के समय से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उपरोक्त वर्णित सूरत में मौजूदा रेफरेन्स पोशनीय नही है। न्यायालय हाजा में पेशकर्दा मौजूद रेफरेन्स व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में पेशकर्दा नियमित राजस्व वाद में समान आराजी, समान पक्षकार, समान विवाद विषयवस्तु है, ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकरण विभिन्न न्यायालयो में नही चल सकते है। विवादित आराजी के संबंध में रेफरेन्स के अलावा नियमित वाद सक्षम अदालत में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में कानूनन मौजूदा रेफरेन्स प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य नही है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा पारित निर्णयो की नजीरे कमशः आर.बी.जे (23) 2016 पेज संख्या 532, आर.बी.जे (5) 1998 पेज संख्या 593 पेश की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी बावजूद सूचना के वक्त बहस उपस्थित नही हुए। दिनाक 20.02.2025 को उपस्थित होकर एक लिखित बहस पेश की गयी। जिसकी नकल वकील अप्रार्थीयान को दिलायी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में अंकन किया है, कि गत खसरा नम्बरान 347 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 349 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 350 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 351 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 385 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, 348 रकबा 0.02 बिस्वा, 352/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, जिनके हाल आराजी खसरा नम्बरान 217 रकबा 0.65 है0, 218 रकबा 0.43 है0, 226 रकबा 0.90 है0, 230 रकबा 0.95 है0, 314 रकबा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

0.21 है0, 514 रकबा 0.44 है0, 515 रकबा 0.38 है0, 516 रकबा 0.39 है0, 517 रकबा 0.36 है0 518 रकबा 0.02 है0, 519 रकबा 0.34 है0, 520 रकबा 0.28 है0, कुल किता 12 रकबा 5.35 है0 वाके ग्राम नागलसिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) में स्थित है, आराजी 150 साल से ज्यादा पूर्व वाशिन्दगान देह ने मन्दिर मूर्ती श्री ठाकुरजी महाराज विराजमान ग्राम नागलसिया को भोग खर्च के लिए दी गयी थी, जिसकी बाबत जमाबन्दी सम्वत 1977 व 78 में इन्दाज चला आ रहा है। जिस कारण से लगान भी माफ कर दिया गया था तो पूर्व की जमाबन्दीयो के कॉलम संख्या 10 व 11 में लगान माफ मन्दिर खिदमत ठाकुरजी महाराज अंकित है। जिसकी बाबत वाजिब उलउज मे भी इन्दाज है। मन्दिर के पुजारी पूर्व में मुसदीलाल व झूथाराम थे, जो आराजी की काश्त करते थे, और पैदावार काश्त से ही मन्दिर के भोग खर्च चलता था। मुसदीलाल व झूथाराम के स्वर्गवास होने के बाद मन्दिर की पुजारीन चमेली बेवा मुसदीलाल व बसन्ती बेवा दीनदयाल बहिरसे बराबर हुयी और उनका राजस्व अभिलेख में 1/2 1/2 के हिस्से से दर्ज चला आ रहा था। यद्यपि मालिक भूमि के संबंध में मन्दिर श्री ठाकुरजी महाराज का ही नाम दर्ज था तथा तहसील मुण्डावर का बन्दोबस्त सम्वत 2029 में किया गया था, तथा बदोबस्त के दौरान मु0 चमेली बेवा मुसदीलाल व बसन्ती बेवा दीनदयाल जो मन्दिर की पुजारिन थी, ने महज मन्दिर को नुकसान पहुचाने की नियत से व स्वंय को बेजा लाभ पहुचाने की नियत से बन्दोबस्त अधिकारीयो से मिलकर उपरोक्त आराजी की बाबत अपने स्वंय के नाम का इन्दाज बतौर खातेदार बहिस्से बराबर–बराबर दर्ज करा लिया गया जो इन्द्राज कतई गलत व खिलाफ है, क्योकि कानूनन बदोबस्त अधिकारीयो को नवीन इन्दाज करने व मन्दिर मूर्ती श्री ठाकुरजी महाराज का नाम हजफ करने का अधिकार नही था, और न ही मन्दिर की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। चमेली बेवा मुसदीलाल का स्वर्गवास हो जाने के बाद नामान्तकरण विरासत उसके दत्तक पुत्र रामप्रसाद के नाम गलत तौर पर दर्ज किया गया एंव बसन्ती का भी स्वर्गवास हो गया, जिसकी एक पुत्री गोमती पत्नी झूथाराम थी, जिसका भी स्वर्गवास हो गया, उसके स्थान पर नरेश कुमार दत्तक पुत्र गोमती व मु0 मूर्ती पुत्री गोमती व श्यामबाई पुत्री गोमती का नाम 1/2 हिस्से पर बतौर खातेदार के गलत तौर पर दर्ज किया गया। जिसमें से मूर्ती बेवा कन्हैयालाल ने 1/4 हिस्से की वसीयत औमप्रकाश, सतीश कुमार, राजेश कुमार पुत्रान रामप्रसाद के नाम की गयी। जिसके आधार पर 1/4 हिस्से पर नामान्तकरण उनके नाम दर्ज कर दिया गया एवं 1/4 भाग की बाबत गोमती की पुत्री श्यामबाई के वारिसान महेन्द पुत्र कान्ता, मंजू, अर्चना, मधु व रैणू पुत्रीयान रामकिशन के नाम पर बतौर खातेदार के गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार चूँकि आराजी मन्दिर मूर्ती श्री ठाकुरजी महाराज की भोग खर्च की आराजी थी, जो सदैव नाबालिग होती है, और कानूनन किसी भी नाबालिग की कृषि विशेष तौर पर मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर व राजस्थान सरकार व देवस्थान विभाग के अनेको परिपत्र के अनुसार कृषि भूमि की बाबत केवल मूर्ती मन्दिर के ही नाम किया जाना चाहिए। मन्दिर मूर्ती श्री ठाकुरजी महाराज की भूमि के बाबत राजस्थान सरकार द्वारा कंमाक 2(4)राज./90/37 दिनाक 13.12.91 के जर्ये एक परिपत्र मदिर मूर्ति की खातेदारी भूमी में देव मूर्ती के साथ पुजारी के नाम के संमंध में उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर, भू प्रबन्ध आयुक्त जयपुर व समस्त जिला कलक्टर के नाम जारी किया गया, तथा इसी प्रकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग कंमाक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनाक 12.09.2018 को समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर के नाम परिपत्र मन्दिर माफी/देवमूर्ति की भूमियो के संबंध मे इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.2(4)राज. 4/98/37 दिनाक 13.12.1991 के अन्तर्गत मन्दिर माफी/देवमूर्ती की भूमियो के बाबत निर्देश जारी किये गये एवं राजस्थान अभिवृति अधि0 1955 धारा 5(28) के तहत उम्मेदसिंह बनाम एस. डी.ओ जोधपुर 199 (1) वे.ला.के राज0 636 धारा 16 पृष्ठ 81 में देवमूर्ति की भूमि पुजारी व उसके उत्तराधीकारीयो को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही बाबत निर्णय किया गया है। तथा इसी प्रकार से कान्हा एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल 1999(1)वे.ला.के राज0 343 में भी देवमूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही मिलने बाबत निर्णय किया गया है, तथा रामस्वरूप बनाम राज्य

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

1999 आर.आर.डी 378 में भी देवमूर्ति की भूमि पुजारी और उसके उत्तराधिकारीयो को खातेदारी प्राप्त नही होने बाबत दर्ज किया गया है। अतः सभी नजीरात को ध्यान में रखकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया किया जाकर विधिवत कार्यवाही की जावे।

प्रार्थी वकील/अप्रार्थीयान के द्वारा पेश जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेफरेन्स प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बरान के बाबत एक राजस्व वाद संख्या 09/2020 बअनुवान मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुरजी महाराज पुश्तैनी नाबालिग वाके मोजा नांगलसीया तहसील मुण्डावर जर्ये नेक्स्ट फ्रेण्ड जगमाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नांगलसीया बनाम रामप्रसाद वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहा विचाराधीन चल रहा है, जिसमें विधिवत कार्यवाही विचाराधीन है, विचाराधीन नियमित राजस्व वाद में पक्षकारान के हित तय होने है, रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर वाद के विचाराधीन रहते किसी भी प्रकार का निर्णय/अभिमत यदि जाहिर किया जाता है, तो उसका प्रभाव नियमित राजस्व वाद पर पडता है। हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण पर नही जाते हुऐ विनम्र राय के अनुसार वादग्रस्त भूमि के हक, हकूको का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से होगा। वादग्रस्त भूमि के संबंध में नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, तथा जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो विधिनुसार रेफरेन्स की कार्यवाही चलने योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मुण्डावर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)
खैरथल–तिजारा (राज0)